64

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

## DISTRICTD DEHRADUN (UK)

Preceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. /Mrs. /~~Miss~~....S. A. Murugeshan
Deputy commissioner Dehradun on dated.4/7/17.at time.......at.D.Dun.which application claiming rights in Mussoorie forest area measuring 0.1186 ha for the construction of Sewer line.
Forest land under FAR, 2006 if the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Mussoorie Sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny if the documents and detailed discussions, no objection /claims were found have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:....Dehradun
Dated:....4/7/17

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District level committee
जिला मजिस्ट्रेट
देहरादून

66

Form-II
For linear Project
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun

No...781 Dated.04/7/2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of 'The ministry of Enviroment and Forest (MoEF) Government of india 's letter 11-9/98-Fc( Pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidlines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers ( Regcogination of Forest Rights) Act 2006 ( FRA', for Short) on the forest land proposed to be divered for non-forest, it is certified that 0.1186 hectare of Forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam, Mussoorie** for Laying of sewer line for safe disposal of effluent of Bhattafall STP in Dobhakhala at Lal Darwaja in Dehradun district falls within jurisdication of village(s) Galjwadi of Dehradun/Mussoorie Bhatta, Bhitarli, Galjwadi.

It is the further certified that

1. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.594405 Hectare of Forest land and 0.0492 hectare of govt. land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram sabha (s) Kiyarkuli- Bhatta ,Galjwadi and B.D.C member Kyarkuli-bhatta and sub Division Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 67. to ..69.... annexure
2. The proposal for such diversion ( with full details of project and its implications in vernacular/local language) have been placed herefore such concerned Gram Sabha/Nagar Palika Mussoorie of forest-dwellers who are eligble under the FRA.
3. The each concerned Gram Sabha. Kiyarkuli- Bhatta ,Galjwadi and B.D.C member Kyarkuli-bhatta has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha/ Kiyarkuli- Bhatta ,Galjwadi and B.D.C member Kyarkuli-bhatta is enclosed as annexure ..67.. to..69.... annexure.
4. The discussion and decisions on th such proposals had taken place only when there was a quoum of minumum 50% of the members of Gram Sabha/ Kiyarkuli- Bhatta ,Galjwadi. present.
5. The diversion of forest land for facilities managed by the Govenmant as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhat (s). Kiyarkuli- Bhatta ,Galjwadi and B.D.C member Kyarkuli-bhatta. have given their consent to it.
6. The rights of primitive Tribal Gruop and Pre- Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl : as above

Signature

(full name and official seal of the District Collector

जिला मजिस्ट्रेट
देहरादून

(S.A. Murugesan)

D/p negi/v.a/2006

67

# कार्यालय – जिलाधिकारी, देहरादून

## जनपद– देहरादून

पत्रांक 781/ दिनांक – 04/7/2017

### वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्तः–

दिनांक 1/7/2017 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद–देहरादून में मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत विकास खण्ड़ सहसपुर में निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के अन्तर्गत प्रस्तावित भट्टाफॉल एस0टी0पी0 के इफ्ल्यूएन्ट के निस्तारण हेतु भट्टाफॉल एस0टी0पी0 से लाल दरवाजा डोबाखाला तक सीवर लाईन बिछाने हेतु अपेक्षित 0.594405 है0 वन भूमि तथा 0.0492 है0 राजकीय भूमि का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस हेतु 0.594405 है0 वन भूमि तथा 0.0492 है0 राजकीय भूमि (NOC संलग्न) वन विभाग से निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम मसूरी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभाओं एंव उपखण्ड़ समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्तारव के आधार पर प्रश्नगत् प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी मसूरी की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.5944 है0 वन भूमि तथा 0.0492 है0 राजकीय भूमि जो कि वन विभाग के मसूरी एवं देहरादून रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उप जिलाधिकारी मसूरी की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून। | प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी। | प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून। | जिलाधिकारी, देहरादून। |

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

प0सं0 781 / ............ दिनांक 04/7/2017

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम मसूरी को सूचनार्थ एंव आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

जिलाधिकारी
देहरादून

जिला मजिस्ट्रेट
देहरादून

D/p negi/v.a/2006

67

# कार्यालय – उप जिलाधिकारी, मसूरी।

## अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण -पत्र

## उपखण्ड स्तरीय समिति, देहरादून।

उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत वन भूमि क्षेत्र में निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के अन्तर्गत प्रस्तावित भट्टाफॉल एस0टी0पी0 के इफ्ल्यूएन्ट के निस्तारण हेतु भट्टाफॉल एस0टी0पी0 से लाल दरवाजा डोबाखाला तक सीवर लाईन बिछाने हेतु अपेक्षित 0.64360 है0 वन भूमि आरक्षित वन भूमि का निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,(तहसील–मसूरी) की दिनांक 2/6/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम, 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनीत कुमार आई० ए० एस० उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निमननुसार है।

1- श्री / ~~श्रीमती~~ विनीत कुमार आई० ए० एस० उप जिलाधिकारी देहरादून अध्यक्ष।
2- श्री / श्रीमती गुलजीर सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून सदस्य।
3- श्री / श्रीमती के. पी. वर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी सदस्य।
4- श्री / श्रीमती आँचल नेगवाल सहा० समाज कल्याण अधिकारी देहरादून सदस्य।
5- (a) ~~श्री~~ / श्रीमती निशा कोटाल ग्राम प्रधान, ग्रामसभा भट्टा क्यारकूली। निशा
(b) श्री / ~~श्रीमती~~ गोविन्द सिंह पुण्डीर ~~ग्राम प्रधान, ग्रामसभा भितरली~~। B.D.C क्यारकुली भट्टा।
(c) ~~श्री~~ / श्रीमती लीला शर्मा ग्राम प्रधान, ग्रामसभा गल्जवाड़ी।

BDC क्यारकुली भट्टा

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित भट्टाफॉल एस0टी0पी0 के इफ्ल्यूएन्ट के निस्तारण हेतु भट्टाफॉल एस0टी0पी0 से लाल दरवाजा डोबाखाला तक सीवर लाईन बिछाने हेतु अपेक्षित 0.594405 है0 वन भूमि तथा 0.0492 है0 राजकीय भूमि का निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यो के समक्ष रखा गया। उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (देहरादून) मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा /आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मसूरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित भट्टाफॉल एस0टी0पी0 के इफ्ल्यूएन्ट के निस्तारण हेतु भट्टाफॉल एस0टी0पी0 से लाल दरवाजा डोबाखाला तक सीवर लाईन बिछाने हेतु अपेक्षित 0.594405 है0 वन भूमि तथा 0.0492 है0 राजकीय भूमि का निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – देहरादून।
जनपद – देहरादून।

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – देहरादून।
जनपद – देहरादून।

परगना मजिस्ट्रेट (सदर) देहरादून

D/p negi/v.a/2006

## वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
## ग्राम सभा– क्यारकुली–भट्टा, भितरली, एवं गल्जवाड़ी।
### तहसील – देहरादून
### जिला – देहरादून

उत्तराखण्ड में जनपद–देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत पेयजल एंव सीवरेज विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित भट्टाफॉल एस0टी0पी0 के इफ्ल्यूएन्ट के निस्तारण हेतु भट्टाफॉल एस0टी0पी0 से लाल दरवाजा डोबाखाला तक सीवर लाईन बिछाने हेतु अपेक्षित 0.594405 है0 वन भूमि तथा 0.0492 है0 राजकीय भूमि का निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय दिनांक 20-1-2017 को सम्पन्न ग्राम सभाओं भट्टाफॉल, क्यारकूली, भितरली एवं गल्जवाड़ी की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर क्षेत्रवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0

प्रधान ग्राम पंचायत क्यारकुली भट्टा ह0 ... विकास खण्ड-सहसपुर, देहरादून

1. श्री/श्रीमती निशा कोठाल ग्राम प्रधान, ग्रामसभा क्यारकूली–भट्टा।
2. श्री/श्रीमती गोविन्द सिंह पुण्डीर (BDC) ~~ग्राम प्रधान, ग्रामसभा भितरली~~। B.D.C. क्यारकुली भट्टा
3. श्री/श्रीमती लीला शर्मा ग्राम प्रधान, ग्रामसभा गल्जवाड़ी।

BDC क्यारकुली भट्टा

श्रीमती लीला शर्मा ग्राम प्रधान

D/p negi/v.a/2006

# वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

क्षेत्र पंचायत सदस्य क्यारकुली, भट्टा एवं भितरली।

तहसील – देहरादून

जिला – देहरादून

उत्तराखण्ड में जनपद–देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के वन विभाग की मसूरी/ देहरादून रेंज के अन्तर्गत पेयजल एंव सीवरेज विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित भट्टाफॉल एस0टी0पी0 के इफ्ल्यूएन्ट के निस्तारण हेतु भट्टाफॉल एस0टी0पी0 से लाल दरवाजा डोबाखाला तक सीवर लाईन बिछाने हेतु अपेक्षित 0.594405 है0 वन भूमि तथा 0.0492 है0 राजकीय भूमि का निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय दिनांक 20-01-12 को सम्पन्न क्षेत्र पंचायत सदस्य, की अध्यक्षता मे ग्राम सभा भितरली की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर क्षेत्रवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

क्षेत्र पंचायत सदस्य
क्यारकुली, भट्टा एवं
भितरली।

Pp ncgr/v a/2006

दिनांक 20-1-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम सभा भितरली,

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थिति वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम | हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 1 | Charan Singh Pundir. | [illegible] |
| 2 | [illegible] | Pundir |
| 3 | | |
| 4 | उमराव सिंह | उमरावसिंह |
| 5 | लक्ष्मण सिंह | Laxman singh |
| 6 | भवनसिंह | [illegible] |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | |

## वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम सभा– क्यारकुली–भट्टा,

तहसील – देहरादून

जिला – देहरादून

उत्तराखण्ड में जनपद–देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत पेयजल एंव सीवरेज विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित भट्टाफॉल एस0टी0पी0 के इफ्लूएन्ट के निस्तारण हेतु भट्टाफॉल एस0टी0पी0 से लाल दरवाजा डोबाखाला तक सीवर लाईन बिछाने हेतु अपेक्षित 0.594405 है0 वन भूमि तथा 0.0492 है0 राजकीय भूमि का निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय दिनांक 20-1-17 को सम्पन्न ग्राम सभाओं क्यारकुली–भट्टा की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर क्षेत्रवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत क्यारकुली भट्टा
ह0 (निशा)
विकास खण्ड-सहसपुर, देहरादून

ग्राम प्रधान
ग्रामसभा क्यारकुली–भट्टा।

वार्ड सदस्य,
ग्रामसभा क्यारकुली भट्टा,

(1) रश्मि रावत
(2) वार्ड न0 (2) – मु–नासिर
(3) वार्ड न0 (3) – ममता थापली
(4)
(5)
(6) वार्ड स0 – किरन थापली (उपप्रधान)
(7)
(8)
(9) वार्ड न0 – [illegible]

दिनांक ..........20/1/17........ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम सभा क्यारकुली–भट्टा

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [signature] |
| 2 | | |
| 3 | उमेश सिंह भण्डारी | [signature] |
| 4 | [illegible] | [signature] |
| 5 | Mamta Thapli | M. Thapli |
| 6 | राकेश रावत | राकेश रावत |
| 7 | [illegible] | [signature] |
| 8 | JAIPAL [illegible] | [signature] |
| 9 | ~~दयाल सिंह~~ | [signature] |
| 10 | चरण सिंह थापली | [signature] |
| 11 | किरन थापली (उप-प्रधान) | Kiran |
| 12 | बलबीर सिंह | [signature] |
| 13 | मदन [illegible] | [signature] |
| 14 | [illegible] | [signature] |
| 15 | | |
| 16 | Kuldeep Singh | [signature] |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | |